GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No.193/2000
SC No.45 to MC No. 16

New Delhi, dt.10.11.2000

NO.E(NG)II/95/RC-1/94

The General Manager (P)s,
All Zonal Railways/PUs, etc.,

Sub : Appointments on compassionate ground- Cases of Medical De-categorisation.

One of the Zonal Railways has sought Board's clarification as to whether requests received for compassionate appointment in case of medically decategorised employees who chose to retire voluntarily on medical grounds, before issuance of the Board's letter dated 18.1.2000 should be entertained.

The matter has been considered by the Board and it has been decided that, in all those cases, in which an employee, declared as medically decategorised before the issuance of Board's letter dated 29.4.99, sought voluntary retirement but he has not yet been given alternative appointment nor he has been adjusted against a supernumerary post, the facility of appointment on compassionate ground may be extended to one ward.

Please acknowledge receipt.

(Hindi version will follow)
(This also disposes off S.E. Rly's letter No. P/Comp/Policy/pt-IV/Loose/907 dated 28.4.2000)

Nadira Razak
(Nadira Razak)
Joint Director Establishment (N) III
Railway Board

Contd...p/2

C:\My Documents\rc1\95rc194.doc

SN-61

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 193/2000
एम सी सं. 16 का एस सी सं. 45

सं. ई(एन जी)II/95/आर सी-1/94 नई दिल्ली, दिनांक 10.11.2000

महाप्रबंधक(कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय : अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत मामले

एक क्षेत्रीय रेलवे ने बोर्ड का स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या बोर्ड के दिनांक-18.1.2000 के पत्र के जारी होने से पहले, चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत जिन कर्मचारियों ने चिकित्सा के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया है, उनके मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त अनुरोध स्वीकार किए जाएं.

बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड के दिनांक 29.4.99 के पत्र के जारी होने से पहले उन सभी मामलों में जिनमें कर्मचारी को चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत घोषित किया गया है तथा जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है लेकिन उन्हें वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी गई है और न ही किसी अधिसंख्य पद पर समायोजित किया गया है, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की सुविधा दी जाए.

कृपया पावती दें.

(इससे दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 28.4.2000 के पत्र सं. पी/कम्प/पालिसी/पार्ट II/लूज/907 का निपटारा हो जाता है)

O/C

नादिरा रज़्ज़ाक
(नादिरा रज़्ज़ाक)
संयुक्त निदेशक, स्था.(आरक्षण)III
रेलवे बोर्ड.

निर्गम (प्रेषण)
ISSUE (D) BRANCH
जारी
ISSUED
हस्ताक्षर
Signature
तारीख
08/01/2001